

Team of Moody's Investors Service to Reassess India's Rating

4494. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a team of credit rating agency Moody's Investors Service visited New Delhi on June 12, 1998 to discuss and reassess India's Sovereign rating; and

(b) if so, with what results, indicating the factors taken into account in reviewing and revising India's credit?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) As a part of periodic review of Sovereign Rating, M&S. Moody's Investor Service visited India between 10-12 June, 1998. The rating was revised from Baa3 to Ba2. Rating review considers several parameters including macro economy, external sector etc.

Payment of Salary Benefits to the Employees of State Bank of Indore

4495. SHRI K.M. SAIFULLAH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether part-payment was made to the employees of Clerical Cadre by the Regional Office, New Delhi of the State Bank of Indore vide their order of October, 1994;

(b) if so, the details of payment made and conditions mentioned therein;

(c) whether the bank has denied payment of salary benefits of past service in reply to Unstarred Question 986 given in the Rajya Sabha on 17th May, 1990;

(d) if so, the reasons for denial of payment initially; and

(e) the action contemplated by Government against the guilty officers and when the remaining payment of sal-

ary to the concerned employees are likely to be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (e) Service matters of individual employees of the banks are looked after by the Managements of the banks concerned and employees are free to seek redressal of grievances, if any, before the Competent Authority under the rules. The rules do not envisage any intervention by Government in such matters.

कपूर समिति की सिफारिशें

4496. श्री रमा शंकर कौशिक:

श्री रामगोपाल यादव:

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की आर्थिक और अन्य स्थितियों में सुधार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कपूर समिति की सिफारिशों को जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा इन सिफारिशों में से किन-किन सिफारिशों को सही समझा गया है;

(ग) क्या इस मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किन-किन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार लघु उद्योग के लिए ऋण वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1997 में गठित एस०एल० कपूर समिति ने 30 जून, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों के साथ विशेष व्यवहार, संमिश्र ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि, लघु उद्योग अभिगमों के रास्ते में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर किया जाना, स्ट्याम्प शुल्क हटाने और सांख्यिक बंधकों की अनुमति देने सहित भूमि को बंधक रखने से संबंधित मामलों को निपटाना, लघु उद्योगों ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करने के लिए भारतीय लघु उद्योग

विकास बैंक (सिडबी) को निम्न लागत वाली निधियां जुटाने की अनुमति, 2 लाख ₹ तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करना, नए उद्यमियों, जो सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों या अन्य पक्ष गारंटी दे पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो सहायता प्रदान करने के लिए सम्पार्श्विक आरक्षित निधि की स्थापना, महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में/के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लघु उद्योग आधारीक विकास निधि की स्थापना, रूग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में परिवर्तन, राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी) को सांविधिक शक्तियां देना, अलग से एक गारंटी संगठन की स्थापना और 1000 अतिरिक्त विशेषज्ञ शाखाएं खोलना इस समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से है।

इस समिति ने ये सिफारिशें भी की हैं: सिडबी को राष्ट्रीय कृषिक और ग्रामीण विकास बैंक के समकक्ष लाने के लिए उसकी भूमिका और हैसियत में वृद्धि की जाए। लघु उद्योगों के विभिन्न उप क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में सुझाव दिए जाएं, बैंकों से लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ सीमाएं मंजूर की जाएं और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पहल और आरंभिक संग्रह (कोरपत) लेकर पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करना ताकि शाखा प्रबंधकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आरंभिक संग्रह (कोरपस) मार्जिन मनी, यदि आवश्यक हो, प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, अत्यन्त लघु क्षेत्र को सिडबी के संसाधनों का कम से कम 40 प्रतिशत निधारित किया जाए, लघु उद्योगों को संयुक्त रूप से सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच अत्यधिक सहयोग हो, 10 लाख ₹ की परियोजना लागत वाले ग्रामीण औद्योगिक एककों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि जैसी निधि की नावार्ड स्थापना करे, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग ओमवहूसमैन योजना में शामिल न किए गए प्रत्येक बैंक में शिकायतों के लिए अलग से ओमवहूसमैन की नियुक्ति किया जाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समिति की सिफारिशों को सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक संघ, बैंक और राज्य सरकार सहित सरकारी विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से जांच की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

Facsimile of Dr. Ambedkar on Rs. 1000/- Note

4497. SHRI RAM NATH KOVIND:
SHRI S. PETER ALPHONSE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to print Rs. 1000/- denomination notes and not the lower denomination notes bearing the facsimile of Dr. B.R. Ambedkar with the purpose of conferring honour on him; and

(b) if so, the date by which the denominations is likely to be printed/released and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Government has taken a policy decision against printing of currency notes with any portrait other than that of the Father of Nation, Mahatma Gandhi. Accordingly, the proposed note of Rupee 1000 will also have the portrait of only Mahatma Gandhi.

एक लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि

4498. श्री ईश दत्त यादव:

श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 30 अप्रैल, 1998 तक 75 हजार से भी अधिक व्यक्तियों पर, प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपये से भी अधिक आयकर की राशि बकाया थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार उनसे आयकर वसूल करने में असफल रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) दिनांक 31-12-1997 की स्थिति के अनुसार आयकर और निगम कर के क्रमशः 124492 तथा 25734 मामले हैं। जिनमें एक लाख और उससे अधिक की धनराशि बकाया है।